रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102024-258347
CG-DL-E-30102024-258347

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 880]	नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 29, 2024/कार्तिक 7, 1946
No. 880]	NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 29, 2024/KARTIKA 7, 1946

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2024

सं. एल–1/265/2022/केविविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के उप–खण्ड (2) के खण्ड (छ) के साथ पठित धारा 79 के उपखण्ड (1) के खण्ड (ज) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए था पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2023 (इसके पभचात् 'मूल विनियम' के रूप में संदर्भित) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024 है।

(2) ये विनियम मूल विनियम के विनियम 45 के खण्ड (12) के सं" ाोधन को छोड़कर भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) विनियम 45 के खण्ड (12) का सं" ाोधन 1.04.2024 से प्रवृत्त होगा।

2. मूल विनियम के विनियम 19 का संशोधन :

(1) मूल विनियम के विनियम 19 के खण्ड (2) के उप-खण्ड (ख) को निम्नानुसार उपखण्ड (ख) और (ग) से प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"(ख) इनफर्म पावर का अंतःक्षेपण आरईजीएस और ईएसएस (हाइड्रो पीएसपी ईएसएस को छोड़कर) से भिन्न उत्पादन स्टे" ानों के लिए प्रथम सिंक्रॉनाइजे" ान की तारीख से एक वर्श से अधिक नहीं होगा।

(ग) इनफर्म पावर का अंतःक्षेपण आरईजीएस और ईएसएस (हाइड्रो पीएसपी ईएसएस को छोड़कर) के लिए प्रथम सिंक्रोनाइजे" ान और समेकन (एफटीसी) अनुमादेन की तारीख से 45 (पैंतालिस) दिनों से अधिक नहीं होगा।''

(2) एक परन्तुक को निम्नानुसार मूल विनियम के विनियम 19 के खण्ड (3) में भाामिल किया जाएगाः

"परन्तु कि आरईजीएस और ईएसएस (हाइड्रो पीएसपी ईएसएस को छोड़कर) के लिए निर्धारित अवधि के आगे इनफर्म पावर के अंतःक्षेपण के लिए अवधि के विस्तार की अनुमति (क) कि संबंधित आरएलडीसी द्वारा तीन महीने तक की अवधि के लिए दी जाएगी परंतु यह कि इस प्रकार के आरईजीएस और ईएसएस (हाइड्रो पीएसपी ईएसएस को छोड़कर) ने निर्धारित अवधि के पूरा होने के कम से कम 10 दिनों में अग्रिम रूप से विस्तृत कारणों सहित संबंधित आरएलडीसी को आवेदन (आवेदनों) किया है (ख) निर्धारित अवधि के पूरा होने के अग्रिम रूप से कम से कम 15 दिनों में विस्तृत कारणों सहित ईएसस या इस प्रकार के उत्पादन स्टे" ान (हाइड्रो पीएसपी ईएसएस को छोड़कर) द्वारा किए गए आवेदन (आवेदनों) पर आयोग द्वारा 3 महीने से आगे की अवधि के लिए अनुमति दी जा सकती है।"

3. मूल विनियम के विनियम 22 का संशोधन:

(1) ''सतत चार (4) घण्टों'' भाब्दों को मूल विनियम के विनियम 22 के खण्ड (3) के उपखण्ड (घ) में ''एक दिन में संचयी आधार पर चार (4) घण्टे'' भाब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) निम्नलिखित परंतुक को मूल विनियम के विनियम 22 के खण्ड (3) के उपखण्ड (च) के अंतर्गत भाामिल किया जाएगाः

"परंतु यह कि यदि अपर्याप्त जला" ाय स्तरों के कारण रेटेड वाटर आहरण स्तरों तक डिजाइन क्षमताएं प्रदर्" ात करना संभव नहीं है तो सीओडी इस भार्त के अध्याधीन उपलब्ध वाटर आहरण स्तरों पर क्षमताओं को प्रदर्" ात करने के बाद घोशित किया जाए कि रेटेड वाटर आहरण स्तरों तक डिजाइन क्षमताओं को तत्काल प्रदर्" ात किया जाएगा जब पर्याप्त जला" ाय स्तर सीओडी के बाद उपलब्ध है।

परंतु यह भी कि यदि इस प्रकार का उत्पादन स्टे" ान डिजाइन क्षमताओं के प्रद" ान के लिए समर्थ नहीं है जब पर्याप्त जल उपलब्ध है, तो उत्पादन कंपनी के पास ट्रायल रन की पुनरावृत्ति करने या क्षमता को डिरेट करने के लिए विकल्प होगा। यदि उत्पादन कंपनी इन विनियमों के विनियम 22 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) के अनुसार यूनिट क्षमता को डिरेट करने का निर्णय लेती है तो इस प्रकार की डिरेटिंग सीओडी से प्रभावी होगी।"

4. मूल विनियम के विनियम 27 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 27 के खण्ड (2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की घोशणा पर, उत्पादन स्टे" ान या उसके यूनिट का अनुसूचीकरण डी+2 के 0000 घण्टें से आरंभ होगा, (जहां डी वह तारीख है जब उत्पादन स्टे" ान, उस उत्पादन स्टे" ान या उसके यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन को सूचित करता है)'' या उत्पादन स्टे" ान या उसके यूनिट द्वारा घोशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख, जो भी बाद में हो से आरंभ होगा।''

5. मूल विनियम के विनियम 45 का संशोधनः

(1) मूल विनियम के विनियम 45 के खण्ड 12 के तृतीय और चतुर्थ परन्तुक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"परंतु यह कि प्रादे" ाक इकाई थर्मल उत्पादन स्टे" ानों जिनके टैरिफ को अधिनियम की धारा 63 के अधीन अंगीकृत किया गया है, उनके आं" ाक भार प्रचालन के लिए क्षतिपूर्ति, अर्थात मानकीय स्तर से नीचे उत्पादन के लिए लाभार्थियों या क्रेताओं के साथ इस प्रकार के उत्पादन स्टे" ानों द्वारा प्रविश्ट किए गए कांट्रेक्ट के उपबंधों के अधीन होगा या केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 के अधीन पहले से लागू तंत्र के अनुसार होगी यदि इस प्रकार कांट्रेक्ट में इस प्रकार के उपबंध का अभाव है;

परंतु यह भी कि थर्मल उत्पादन स्टे" ानों जिनका टैरिफ आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 62 के अधीन निर्धारित किया जाता है, लागू टैरिफ विनियमों के उपबंधों के अनुसार आंि" ाक भार प्रचालन के लिए क्षतिपूर्ति की जाएगी।''

6. मूल विनियम के विनियम 49 का संशोधन

(1) मूल विनियम के विनियम 49 के खण्ड (1) के उपखण्ड (I) के अधीन ''जब तक कि लिखित में लाभार्थी या क्रेता द्वारा सहमति रोकी नहीं जाती'' भाब्दों को ''लाभार्थी (लाभार्थियों) की सहमति के बिना'' भाब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) एक नया उपखण्ड (v-क) मूल विनियम के विनियम 49 के खण्ड (2)(क) के उपखण्ड (V) के बाद निम्नानुसार जोड़ा जाएगाः

''(v-क) यदि प्रादे" ाक इकाई उत्पादन स्टे" ान, जिसका टैरिफ अधिनियम की धारा 62 के अधीन अवधारित किया जाता है, दिवस के ऑफ पीक घण्टों के लिए न्यूनतम टर्मडाउन स्तर से नीचे अनुसूची प्राप्त करता है, तथापि दिवस के पीक घण्टों के लिए न्यूनतम टर्मडाउन स्तर से ऊपर अनुसूची प्राप्त करता है, जहां पीक घण्टे और ऑफ पीक घण्टे टैरिफ विनियमों के अधीन संबंधित आरएलडीसी द्वारा यथाघोशित किए जाएंगे, एनएलडीसी को इस प्रकार के उत्पादन स्टे" ान द्वारा अनुरोध पर न्यूनतम टर्मडाउन स्तर से नीचे अनुसूची निम्नानुसार समायोजित की जाएगीः

(क) न्यूनतम टर्मडाउन स्तर से नीचे अनुसूची इस प्रकार एससीईडी के अंतर्गत समायोजित की जाएगी कि दिवस के सभी समयब्लाकों में अनुसूची कम से कम न्यूनतम टर्मडाउन स्तर पर होगी। मार्जिनल उत्पादन स्टे" ान (स्टे" ानों) ('क') की अनुसूची अर्थात् इस खण्ड के उपखण्ड (iv) पर चरण के पूरा होने के बाद और तैयार स्टेक में उच्चतम ऊर्जा प्रभार सहित उत्पादन स्टे" ान रेम्प अप या रेम्प डाउन दर, अनुक्रिया समय, पारेशण संकुलता और विस्तृत क्रियाविधि में यथानिर्धारित इस प्रकार के अन्य पैरामीटरों के अध्यधीन कम किया जाएगा।

(ख) यदि इस प्रकार के उत्पादन स्टे" ान ('क') के, यथालागू एससीईडी ऊर्जा प्रभार या एससीईडी क्षतिपूर्ति प्रभार जो एससीईडी डाउन जारी करने के लिए अपेक्षित था, उत्पादन स्टे" ान ('ख') के ऊर्जा प्रभार से कम है जिसकी अनुसूची न्यूनतम टर्मडाउन स्तर तक बढ़ाई गई थी, एससीईडी ऊर्जा प्रभार या एससीईडी क्षतिपूर्ति प्रभार ('क' के लिए) और ऊर्जा प्रभार ('ख' के लिए) के बीच अंतर, उस इकाई द्वारा संदेय होगा जिससे न्यूनतम टर्म डाउन स्तर से नीचे उत्पादन स्टे" ान या उसके यूनिट की अनुसूची हुई है।

(ग) यदि इस प्रकार के उत्पादन स्टे" ान ('क') के, यथालागू एससीईडी ऊर्जा प्रभार या एससीईडी क्षतिपूर्ति प्रभार जो एससीईडी डाउन जारी करने के लिए अपेक्षित था, उत्पादन स्टे" ान ('ख') के ऊर्जा प्रभार से अधिक है जिसकी अनुसूची न्यूनतम टर्मडाउन स्तर तक बढ़ाई गई थी, एससीईडी ऊर्जा प्रभार या एससीईडी क्षतिपूर्ति प्रभार ('क' के लिए) और ऊर्जा प्रभार ('ख' के लिए) के बीच अंतर को इस खण्ड के उपखण्डों (viii) से (x) के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

(घ) उक्त चरणों को केवल उसके बाद कार्यान्वित किया जाएगा जब विद्युत बाजार में विद्युत की बिक्री के माध्यम से (द्विपक्षीय या सामूहिक संव्यवहार के अधीन) न्यूनतम टर्मडाउन स्तर की अनुसूची को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के उत्पादन स्टे" ान द्वारा किए गए प्रयास आरएलडीसी को प्रस्तुत किए जाते हैं।

(ङ) एनएलडीसी, इन विनियमों की अधिसूचना के एक माह के अंदर विनियम 49(2)(क)(V-क) के उपखण्ड (ख) के अनुसार प्रभारों के भुगतान की पद्धतियों सहित विस्तृत क्रियाविधि आयोग के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।''

(3) मूल विनियम के विनियम 49 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क)(Vi)(ख) के अधीन ''और यह भी इस भार्त के अध्यधीन इस प्रकार के उत्पादन स्टे" ान की समूची आहरण अनुसूची को एससीईडी के अधीन समायोजित किया जा सकता है'' भाब्दों को हटा दिया जाएगा।

(4) ''या आंि" ाक आउटेज इस विनियम के खण्ड (7–क) के अनुसार'' भाब्दों को मूल विनियम के विनियम 49 के खण्ड (4) के उपखण्ड (क) के प्रथम परन्तुक के अंत में जोड़ा जाएगा।

(5) निम्नलिखित परन्तुक को मूल विनियम के विनियम 49 के खण्ड (4) के उपखण्ड ख (ii) के अधीन भाामिल किया जाएगाः

"परंतु कि उत्पादन स्टे" ान में ''डी–1'' दिवस को 1430 घण्टों के बाद ''डी'' दिवस के लिए क्रेताओं द्वारा अनुसूचियों के अधोगामी पुनरीक्षण की अनुमति उन्हीं लाभार्थियों को होगी जिन्होंने उत्पादन स्टे" ान में अपने भाग के न्यूनतम टर्नडाउन स्तर के उपर तक अनुसूचित किया हैः

परंतु इस प्रकार के लाभार्थियों जिन्होंने उत्पादन स्टे" ान में अपने भाग के न्यूनतम टर्नडाउन स्तर के उपर तक अनुसूचित किया है, उनके द्वारा अधोगामी पुनरीक्षण इस प्रकार की मात्रा तक सीमित होंगे कि उत्पादन स्टे" ान की समूची अनुसूची कम से कम न्यूनतम टर्मडाउन स्तर पर होती है। 'डी–1' दिवस पर 1430 घण्टों के बाद 'डी' दिवस के लिए इस प्रकार के लाभार्थियों द्वारा अनुसूचियों का अधोगामी पुनरीक्षण 'डी–1' दिवस के 1430 घण्टों पर उनके भोयर के न्यूनतम टर्मडाउन स्तर से ऊपर की विद्युत अनुसूची के समानुपातिक आधार पर होगा।

एक उत्पादन स्टे" ान के एक नमूने समय ब्लॉक के लिए निर्दे" ाि :

राज्य	'डी–1' पर अपराहन 2.30 से पूर्व दी गई अनुसूची (मेगावाट में)	नमूना दिवस के लिए डाउन वर्ड पुनरीक्षण के बाद 'डी' दिवस के लिए अनुसूची (मेगावाट में)	सहायक उपभोग की कटौती करने के बाद आबंटन (मेगावाट में)	55% आबंटन (एमटीएल को 55% मानते हुए) (मेगावाट में)	एमटीएल से अधिक लिया गया भोयर (मेगावाट में)	अनुपात	'डी–1'/'डी' दिवस पर अपराहन 2.30 के बाद अनुमत्त अधिकतम डाउन (मेगावाट में)
	क	ख	ग	घ= गX55%	ङ = क-घ	च = (ङ/सिगमा ङ) X100	छ = च X ('डी–1' के अपराहन 2.30 पर कुल अनुसूची)
राज्य क	213	117	210	115	98	30.62%	37
राज्य ख	682	706	1245	685	0		0
राज्य ग	110	61	106	58	52	16.16%	19
राज्य घ	354	195	335	184	170	53.12%	63
राज्य ङ	0	0	258	142	0		0
राज्य च	0	0	30	17	0		0
	1359	1079	2184		320		119
एमटीएल			1240 (मेगावाट)				
'डी–1' के 2.30 अपराह्न पर अनुसूची – एमटीएल			119 (मेगावाट)				

"

(6) निम्नलिखित खण्ड (7–क) को मूल विनियम के विनियम 49 के खण्ड (7) के बाद भाामिल किया जाएगा:

"(7–क) उत्पादन स्टे" ान या ईएसएस (एक अंतःक्षेपणकारी इकाई के रूप में) के घोशित क्षमता और अनुसूची के पुनरीक्षण की केवल द्विपक्षीय संव्यवहारों के मामले में निम्नलिखित ब्योरों के अनुसार अनुमति होगी और सामूहिक संव्यवहारों के मामले में अनुमति नहीं होगी:

(क) उत्पादन स्टे" ान (लिग्नाइट, गैस आधारित थर्मल उत्पादन स्टे" ान और हाइड्रो उत्पादन स्टे" ान से भिन्न) या ईएसएस (एक अंतःक्षेपणकारी इकाई के रूप में) की यूनिट के आं" ाक आउटेज या ईंधन गुणवत्ता की भिन्नता या लिखित में रिकॉर्ड किए जाने वाले किसी अन्य तकनीकी कारण जैसे कारणों के कारण माह के दौरान अधिकतम 60 (साठ) पुनरीक्षणों के अध्याधीन दिवस में अनुसूची और घोशित क्षमता के अधिकतम (चार) पुनरीक्षणों की अनुमति होगी:

परंतु कि आरएलडीसी ग्रिड अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उक्त सीमा के आगे डीसी के उर्ध्वगामी पुनरीक्षण की अनुमति दे सकता है।

(ख) लिग्नाइट, गैस या हाइड्रो गैस पर आधारित उत्पादन स्टे" ान को यूनिट के आं" ाक आउटेज, या हाइड्रो उत्पादन स्टे" ानों के लिए जल उपलब्धता या ईंधन गुणवत्ता या गैस उत्पादन स्टे" ानों के लिए गैस की आपूर्ति में भिन्नता या लिखित में रिकॉर्ड किए जाने वाले किसी अन्य तकनीकी कारण जैसे कारणों के कारण माह के दौरान अधिकतम 120 (एक सौ बीस) पुनरीक्षणों के अध्याधीन दिवस में अनुसूची और घोशित क्षमता के 6 (छ) पुनरीक्षणों की अनुमति होगी:

परंतु कि आरएलडीसी ग्रिड अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उक्त सीमा के आगे डीसी के उर्ध्वगामी पुनरीक्षण की अनुमति दे सकता है।"

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./650/2024-25]

नोट:

(1) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2023 को भारत के भासकीय राजपत्र (असाधारण) संख्या 488 के भाग III, खण्ड 4 में तारीख 11.07.2023 को प्रकाशित किया गया।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October 2024

No. L-1/265/2022/CERC. —In exercise of powers conferred under clause (h) of subsection (1) of Section 79 read with clause (g) of sub-section (2) of Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2023 (hereinafter referred to as "the Principal Regulations").

1. Short Title and Commencement

(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) (First Amendment) Regulations, 2024.

(2) These regulations shall come into force from the date of publication in the official Gazette except for Amendment to Clause (12) of Regulations 45 of Principal Regulations.

(3) Amendment to Clause (12) of Regulation 45 shall come into force from 1.04.2024.

2. Amendment to Regulation 19 of the Principal Regulations:

1. Sub-Clause (b) of Clause (2) of Regulation 19 of the Principal Regulations shall be substituted with sub-clauses (b) and (c) as follows:

"(b) Injection of infirm power shall not exceed one year from the date of first synchronization for generating stations other than REGS and ESS (except Hydro PSP ESS).

(c) Injection of infirm power shall not exceed 45 (forty-five) days from the date of first-time energization and integration (FTC) approval for REGS and ESS (except Hydro PSP ESS)."

2. A Proviso shall be inserted in Clause (3) of Regulation 19 of the Principal Regulations as follows:

"Provided that for REGS and ESS (except Hydro PSP ESS), extension of period for injection of infirm power beyond the stipulated period may be allowed (a) for a period up to three months by respective RLDC on an application(s) made by such generating station or ESS(except Hydro PSP ESS) to respective RLDC along with detailed reasons, at least 10 days in advance of the completion of the stipulated period, (b) for a period beyond three months, by the Commission on an application(s) made by such generating station or ESS(except Hydro PSP ESS) along with detailed reasons, at least 15 days in advance of the completion of the stipulated period".

3. Amendment to Regulation 22 of the Principal Regulations:

(1) Words "continuous four (4) hours" shall be replaced with words "four (4) hours on a cumulative basis in a single day" in sub-clause (d) of Clause (3) of Regulation 22 of the Principal Regulations.

(2) The following proviso shall be inserted under sub-clause (f) of Clause (3) of Regulation 22 of the Principal Regulations:

"Provided that if it is not possible to demonstrate the design capabilities up to the rated water drawing levels due to insufficient reservoir levels, the COD may be declared after demonstrating the capabilities at available water drawing levels, subject to the condition that design capabilities up to the rated water drawing levels shall be demonstrated immediately when sufficient reservoir level is available after COD.

Provided further that if such a generating station is not able to demonstrate the design capabilities when sufficient water is available, the generating company shall have the option to either go for a repeat trial run or de-rate the capacity. If the generating company decides to de-rate the unit capacity in terms of sub-clause (b) of Clause (2) of Regulation 22 of these Regulations, such de-rating shall be effective from the COD."

4. Amendment to Regulation 27 of the Principal Regulations:

(1) The Clause (2) of the of Regulation 27 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"On declaration of commercial operation date, scheduling of the generating station or unit thereof, shall start from 0000 hours of D+2 (where D is the date when a generating station intimates the commercial operation of the generating station or unit thereof) or the commercial operation date declared by the generating station or unit thereof, whichever is later."

5. Amendment of Regulation 45 of the Principal Regulations

(1) The Third and Fourth Proviso to Clause 12 of Regulation 45 of the Principal Regulations shall be substituted as follows:

"Provided further that the regional entity thermal generating stations whose tariffs are adopted under Section 63 of the Act shall be compensated for part load operation, that is, for generation below the normative level of operation, in terms of the provisions of the contract entered into by such generating stations with the beneficiaries or buyers, or in the absence of such provision in the contract, as per the mechanism already in force under the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010:

Provided further that the thermal generating stations whose tariffs are determined under Section 62 of the Act by the Commission, shall be compensated for part load operation as per the provisions of applicable Tariff Regulations."

6. Amendment to Regulation 49 of the Principal Regulations

(1) The words "unless the consent is withheld by the beneficiary or buyer in writing" under sub-clause (l) of Clause (1) of Regulation 49 of the Principal Regulations shall be substituted with the words "without the consent of beneficiary(ies)."

(2) A new sub-clause (v-a) shall be added after sub-clause (v) of Clause (2)(a) of Regulation 49 of the Principal Regulations as follows:

"(v-a) In case a regional entity generating station, whose tariff is determined under Section 62 of the Act, gets a schedule below minimum turndown level for Off-Peak hours of the day, however, gets a schedule above minimum turndown level for Peak hours of the day, where Peak hours and Off-Peak hours shall be as declared by the concerned RLDC under the Tariff Regulations, the schedule below the minimum turndown level may, on the request by such generating station to NLDC shall be adjusted as follows:

(a) the schedule below the minimum turndown level shall be adjusted under SCED such that the schedule in all time blocks of the day is at least at the minimum turndown level. The schedule of the marginal generating station (s) ('A'), that is, the generating station with the highest energy charge in the stack prepared under and after completion of step at sub-clause (iv) of this clause, shall be reduced, subject to ramp up or ramp down rate, response time, transmission congestion and such other parameters as stipulated in the Detailed Procedure.

(b) In case the SCED energy charge or SCED Compensation Charge, as applicable, of such generating station ('A'), which was required to be issued SCED down, is lower than the energy charge of the generating station ('B') whose schedule was increased up to the minimum turndown level, the difference between the SCED energy charge or the SCED Compensation Charge (for 'A') and the energy charge (for 'B') shall be payable by the entity which has caused the schedule of the generating station or unit thereof below minimum turndown level.

(c) In case the SCED energy charge or SCED Compensation Charge, as applicable, of such generating station ('A') which was required to be issued SCED down, is higher than the energy charge of the generating station ('B) whose schedule was increased up to the minimum turndown level, the difference between the SCED energy charge or SCED Compensation Charge (for 'A') and the energy charge (for 'B') shall be adjusted in accordance with sub-clauses (viii) to (x) of this clause.

(d) The above steps shall be carried out only after the generating station furnishes to the RLDC the efforts made by such generating station to achieve a schedule of Minimum turndown level through the sale of power in the Power market (under bilateral or collective transactions).

(e) NLDC shall submit a detailed Procedure including the modalities of payment of charges as per sub-clause (b) of Regulation 49(2)(a)(v-a), within a month of notification of these regulations, for approval of the Commission.”

(3) The words “, and also subject to the condition the entire drawal schedule against such generating station can be accommodated under SCED” under sub-clause (a)(vi)(b) of Clause (2) of Regulation 49 of the Principal Regulations shall be deleted.

(4) The words “or partial outage as per clause (7-a) of this Regulation” shall be added at the end of the first proviso to sub-clause (a) to Clause (4) of Regulation 49 of the Principal Regulations.

(5) The following proviso shall be inserted under sub-clause b(ii) of Clause (4) of Regulation 49 of the Principal Regulations:

“Provided that downward revision of schedules by the buyers for ‘D’ day, after 1430 hrs on ‘D-1’ day in the generating station is permissible only for beneficiaries which have scheduled above their respective share of minimum turndown level in the generating station:

Provided also that downward revision by such beneficiaries, which have scheduled above their respective share of minimum turndown level in the generating station, shall be permissible limited to a quantum such that overall schedule of the generating station is at least at Minimum turndown level. The downward revision of schedules by such beneficiaries for ‘D’ day, after 1430 hrs on ‘D-1’ day shall be permissible on a pro-rata basis of the power scheduled above the minimum turndown level of their share at 1430 hrs of ‘D-1’ day.

Illustration for a sample generating station for a sample time block:

State	**Schedules given prior to 2.30 pm on 'D-1' (in MW)**	**Schedule for 'D' day after downward revision for a sample day (in MW)**	**Allocation after deducting auxiliary consumption (in MW)**	**55% allocation (considering MTL as 55%) (in MW)**	**Share taken above MTL (in MW)**	**Ratio (in %)**	**Maximum down permitted after 2.30 PM on ‘D-1’/’D’ day (in MW)**
	A	**B**	**C**	**D = C x 55%**	**E = A-D**	**F = (E/sigma E) X 100**	**G=F X (total schedule at 2.30 PM on ‘D-1’ - MTL)**
State A	213	117	210	115	98	30.62%	37
State B	682	706	1245	685	0		0
State C	110	61	106	58	52	16.16%	19
State D	354	195	335	184	170	53.12%	63
State E	0	0	258	142	0		0
State F	0	0	30	17	0		0
	1359	1079	2184		320		119
MTL			**1240 MW**				
Schedule at 2.30 PM on ‘D-1’ - MTL			**119 MW**				

”

(6) The following Clause (7-a) shall be inserted after Clause (7) of Regulation 49 of the Principal Regulations:

“(7-a) Revision of Declared Capacity and schedule of a generating station or ESS (as an injecting entity) shall be allowed only in case of bilateral transactions and not in case of collective transaction as per following details:

(a)The generating station (other than lignite, gas based thermal generating station, and hydro generating station) or ESS (as an injecting entity) shall be allowed a maximum of 4 (four) revisions of Declared Capacity and schedule in a day subject to a maximum of 60 (sixty) revisions during a month, due to reasons such as a partial outage of the unit or variation of fuel quality or any other technical reason to be recorded in writing:

Provided that RLDC may allow upward revision of DC beyond the above limit keeping in view grid requirements.

(b) The generating station based on lignite, gas, or hydro generating station shall be allowed 6(six) revisions of Declared Capacity and schedule in a day subject to a maximum of 120 (One hundred twenty) revisions during a month, due to reasons such as a partial outage of the unit or water availability for hydro generating stations or fuel quality or variations in the supply of gas for gas generating stations or any other technical reason to be recorded in writing:

Provided that RLDC may allow upward revision of DC beyond the above limit keeping in view grid requirements."

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./650/2024-25]

Note:

The Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2023, were published on 11.07.2023 in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) No 488.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA